नोट :– आज दिनांक 11.12.2025 को साक्षी त्रिभुवन सिंह को पुनः शपथ दिलायी जाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

Time-11:45 AM

46. यह कहना सही है कि लोन पास होने के बाद लोन की राशि जब हितग्राही के खाते में आ जाता है तब हितग्राही के खाते में यह दर्शित होता है कि लोन की राशि किस बैंक की किस शाखा से कितनी राशि स्वीकृत हुआ है। यह कहना सही है कि लोन की राशि मेरे खाते में आने के बाद से ही प्रारंभ से ही मुझे यह ज्ञात हो गया था कि उक्त लोन की राशि किस बैंक के किस शाखा से आयी है। मुझे जानकारी नही है कि जिन बैंक शाखाओं से मेरे खाते में लोन की राशि आयी थी उन बैंकों से संबंधित 04 से 05 शाखाएं एवं कुछ बैंकों के 10 शाखाएं रायपुर के अलग अलग क्षेत्र में स्थित है।

47. मुझे जानकारी नही है कि जिन बैंकों की शाखाएं जिस क्षेत्र में स्थित होता है उस क्षेत्र के बैंक से लोन प्रदान किया जाता है और यदि कथित शाखा नही है तो मुख्य शाखा से लोन प्रदान किया जाता है। यह कहना सही है कि प्रत्येक लोन के पूर्व बैंक हितग्राही का भौतिक सत्यापन कराती है। यह कहना सही है कि मुझे पूर्व में तीन लोन स्वीकृत करने के पहले मेरे संबंधित बैंक के द्वारा भौतिक सत्यापन कराया गया था। यह कहना सही है कि भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में बैंक का अधिकारी हितग्राही के घर जाकर भौतिक सत्यापन करता है। यह कहना सही है कि वह अधिकारी बैंक द्वारा निर्धारित फार्म में चाही गयी जानकारी हितग्राही से एकत्रित करता है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उस अधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त हितग्राही के साथ सेल्फी लेकर अपने बैंक शाखा के विशिष्ट ग्रुप में उसे सेल्फी को पोस्ट करता है। गवाह स्वतः कहता है कि मेरे बैंक द्वारा लोन लेने के पूर्व उक्तानुसार सेल्फी की प्रक्रिया नही की थी, कुछ बैंकों द्वारा सेल्फी की प्रक्रिया की जाती है।

48. यह कहना गलत है कि मेरे पूर्व के लोन स्वीकृत करने के पूर्व मेरे पूर्व के बैंक द्वारा भौतिक सत्यापन के समय सेल्फी की प्रक्रिया सम्पन्न किया था। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि इस मामले में पॉच बैंको द्वारा भौतिक सत्यापन के प्रक्रिया के समय भी आपसे सेल्फी लेने वाली प्रक्रिया किया गया था तब साक्षी का कहना है कि बैंक के अधिकारी नही आये थे तथा आर.बी. ग्रुप के स्टॉफ वालों के द्वारा यह कहा गया था कि हमारे साथी सहयोगी आपके पास वेरिफिकेशन के लिये आयेगे और हमारे बताये अनुसार आयेगे।

प्रश्न– मेरा यह कहना है कि वेरिफिकेशन हुआ या नही ?

उत्तर– आर.बी. ग्रुप के स्टॉफ के कर्मचारियों के द्वारा वेरिफिकेशन हुआ।

49. यह कहना गलत है कि मुझे यह बात पहले से पता थी कि मेरा लोन 05 अलग अलग बैंको से स्वीकृत होने वाला है। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस

कथन, लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में मेरे खाते में किस किस दिनांक को किस किस बैंक द्वारा राशि स्वीकृत कर जमा करायी गयी उसका उल्लेख नही है। यह कहना गलत है कि मैं जानबूझकर कर स्वीकृत राशि के तारीखों का उल्लेख मेरे पुलिस कथन, लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही किया हूं। यह कहना गलत है कि मेरे स्वीकृत होने वाले 25 लाख रूपये के लोन के ई.एम.आई. पटाने हेतु मेरी कोई पूर्व व्यवस्था नही थी। गवाह स्वतः कहता है कि मेरी सैलरी थी।

50. मुझे जानकारी नही है कि बैंक मासिक वेतन के 10 गुणा से लेकर 14 गुणा से अधिक का लोन नही देती है। मुझे जानकारी नही है कि लोन देने का अनुपात वेतन देने के विरूद्ध 60 अनुपात 40 है। मुझे जानकारी नही है कि बैंक 40 प्रतिशत राशि को घरेलू खर्च मानती है और 60 प्रतिशत राशि लोन के लिये विचार में लेती है। मुझे जानकारी नही है कि यदि मेरे पहले से कोई लोन का ई.एम.आई. मौजूद हो तो बाद के लोन स्वीकृत करते समय पूर्व के ई.एम.आई. की राशि को घटाने के बाद बैंक लोन स्वीकृत करती है।

51. यह कहना गलत है कि मुझे पूर्व से इस बात की जानकारी थी कि मेरा लोन पूर्व के ई.एम.आई. 35 हजार रूपये को घटाकर मात्र 25 हजार रूपये मूल वेतन समझा जाकर लोन स्वीकृत की जा सकती है। यह कहना गलत है कि मैं बैंक के अधिकारियों को भौतिक सत्यापन के समय गलत जानकारी देकर, अपने साथ मिलाकर फर्जी तरीके से लोन स्वीकृत कराया हूं। मुझे इस बात की जानकारी है कि मल्टीपल बैंक से लोन लेना धोखाधड़ी है।

52. यह कहना गलत है कि उक्तानुसार मल्टीपल बैंक से लोन के आये हुये पैसों पर मेरी नियत खराब थी तथा मैं उन पैसों हड़प कर जाने की नियत से आधा पैसा किसी संस्था को उधार देकर उससे प्राप्त अवैध प्रकार के ब्याज से ई.एम. आई. योजना पटाने की योजना बनायी थी। यह कहना सही है कि मैंने अपने लिखित शिकायत में आरोपी मनोज प्रधान का नाम नही लिखा हूं। गवाह स्वतः कहता है कि अन्य पार्टनर शब्द का प्रयोग किया हूं। यह कहना सही है कि आरोपी रागीफ हुसैन ने मुझे किस दस्तावेज के आधार पर लोन प्राप्त होगी वही सूचना उपलब्ध कराया था।

53. यह कहना सही है कि मैंने अपने लिखित शिकायत के साथ ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नही किया हूं जिससे यह दर्शित होता है कि मेरी लोन की जिम्मेदारी कोई कम्पनी ले रही हूं। गवाह स्वतः कहता है कि आर.बी. ग्रुप के चेक मैं अपने लिखित शिकायत के साथ संलग्न किया था।

54. यह कहना गलत है कि मैं बदनियती से और अपनी चोर नियत को छुपाने के लिये संस्था पर जानबूझकर ऐसे आरोप लगाया हूं ताकि बैंक मेरे विरूद्ध कूटरचना व छल का मामला दर्ज न करे। यह कहना सही है कि बिना बैंक गये लोन स्वीकृत

नही होता है, बैंक जाना होता है। गवाह स्वतः कहता है कि एस.बी.आई. बैंक में कुछ लिमिट एमाउंट तक बैंक में बिना जाये लोन स्वीकृत हो जाता है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपको किस स्त्रोत से यह पता चला कि 140 लोगों के साथ कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी किया गया है और उल्लेख आपके लिखित कथन, प्रथम सूचना रिर्पाट एवं पुलिस कथन में नही है तब साक्षी का कहना है कि स्त्रोत का उल्लेख मेरे लिखित कथन, प्रथम सूचना रिर्पाट एवं पुलिस कथन में नही है किन्तु जब हम पीड़ित लोग कम्पनी के बारे में इकट्ठा हुये थे तब बातचीत के दौरान यह पता चला था कि कम्पनी द्वारा 140 लोगो से अधिक लोगो को इस प्रकार का लोन स्वीकृत कराया गया है। यह कहना सही है कि मेरे लिखित कथन, प्रथम सूचना रिर्पाट एवं पुलिस कथन में उन 140 लोगों का नाम व पता उल्लेख नही है जिनके बारे में मैंने संस्था में आरोप लगाया है।

55. यह कहना गलत है कि मेरे जैसे ही बदनियति से, चन्द्रकांत कन्नौजे, ओमप्रकाश रात्रे, भूपेन्द्र मरापी, धर्मेन्द्र कुमार बंजारे, शिल्पा चौकसे, कैलाश कन्नौजे, चलेश्वर सिंह, छेदी सिंह ओन्टेन, निधि ओन्टेन, ओमप्रकाश कोसिमा सभी ने बैंको के कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर जानबूझकर बदनियति पूर्वक छल और धोखाधड़ी करते हुये प्राप्त लोन राशि को हड़प जाने की नियत से लोन की आधी राशि अवैध रूप से उधार देकर ब्याज चलाने का अपराध किया है। गवाह स्वतः कहता है कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा किस नियत से क्या किया है इसकी मुझे जानकारी नही है।

56. यह कहना गलत है कि ब्याज राशि नही मिलने से हम सभी उक्त लोगो ने एकराय होकर संस्था के विरूद्ध झूठा शिकायत किया है। यह कहना गलत है कि मैंने बैंक के साथ धोखाधड़ी कर रूपया हड़प लिया है। यह कहना गलत है कि यदि मुझे आवश्यकतानुसार 25 लाख रूपये लोन मिल जाता तब भी मैं लोन नही पटा सकता था। यह कहना गलत है कि जब तक मुझे रूपये लेने थे तब तक मैं पूरी होशियारी बरत रहा था जैसे लोन कैसे मिलेगा, क्या दस्तावेज लगेगा, ई.एम.आई. कैसे पटेगा, इस पर विचार कर रहा था लेकिन जैसे ही संस्था को दिया गया उधार रकम प्राप्त होने में अनियमित हुआ तब मैं मासूमियत का चोला पहन कर थाना शिकायत करने पहुंच गया।

57. मुझे जानकारी नही है कि उधार का दिया जाना और ब्याज प्राप्त करना या उधार के एवज में चेक प्राप्त कर एक सिविल व्यवहार है। मुझे जानकारी है कि मेरा संस्था के साथ रकम उधार लेना देना एक सिविल व्यवहार है, आपराधिक मामला नही है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा दिये गये उधार की राशि प्राप्त करने के लिये न्यायालय में विहित समयावधि में सिविल सूट प्रस्तुत करना पड़ता जिसमें बहुत ज्यादा कोर्ट फीस की आवश्यकता पड़ती जिससे बचने के लिये मेरे द्वारा हाथ मरोड़कर कर पैसा वसूलने की नियत से एवं स्वयं अपराध से बचने के लिये पुलिस अधिकारियों से सांठगांठ कर अपराध दर्ज करवाया हूं। गवाह स्वतः कहता है कि

हमने अपराधी को पकड़वाने के लिये तथा पैसा वापस मिलने पर बैंक में जमा करने के लिये रिपोर्ट दर्ज करवाया हूं।

58. यह कहना गलत है कि मुझे यह डर था यदि मैं संस्था के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज नही कराता तो बैंक मेरे विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करा देता। यह कहना गलत है कि मैंने, चन्द्रकांत कन्नौजे, ओमप्रकाश रात्रे, भूपेन्द्र मरापी, धर्मेन्द्र कुमार बंजारे, शिल्पा चौकसे, कैलाश कन्नौजे, चलेश्वर सिंह, छेदी सिंह ओन्टेन, निधि ओन्टेन, ओमप्रकाश कोसिमा के साथ मिलकर एकराय होकर पुलिस अधिकारियों को प्रभाव में लेकर तथा बैंक अधिकारियों को बचाते हुये अपराध दर्ज कराया है। यह कहना गलत है कि यही कारण है कि हम लोगो ने पुलिस को प्रभाव में लेकर किसी भी बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बयान नही होने दिया क्योंकि यदि बयान होता तो बैंक के अधिकारी भी फंसते।

59. यह कहना गलत है कि हम लोगों के प्रभाव में पुलिस ने लोन एग्रीमेंट की जप्ती भी नही किया है। यह कहना गलत है कि लोन एग्रीमेंट जप्त कराने से यह पता चल जाता कि संस्था का इसमें कोई भूमिका नही है तथा गारंटी नही है। यह कहना गलत है कि लोन के संबंध में आर.बी. ग्रुप द्वारा केवल सुव्यवस्थित दस्तावेज एवं सही फॉर्मेट में आवेदन करने के तरीके का प्रशिक्षण देती है तथा उसकी कन्सलटेन्सी फीस प्राप्त करती है इसके अलावा आर.बी. ग्रुप कुछ नही करती है।

60. यह कहना गलत है कि आज मैं यह नही बता सकता कि जप्ती पहले हुआ है या मेमोरेडम हुआ है। गवाह स्वतः कहता है कि मेमोरेडम पहले हुआ था और जप्ती बाद में हुआ था। यह कहना गलत है कि मैं चालान की प्रति प्राप्त कर उसे पढ़कर तथा सिखाये पढ़ाये अनुसार बयान दिया हूं।

61. यह कहना गलत है कि पुलिस ने छपे छपाये फॉर्म एवं कोरे कागज में मेरा हस्ताक्षर कराकर पहले से रख लिया था। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नही हुई है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा संस्था एवं आरोपी मनोज प्रधान एवं आरोपी रागीफ हुसैन के विरूद्ध सोच विचार कर झूठा फंसाने की नियत से अपराध दर्ज कराया हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अजय दास मानिकपुरी अधिवक्ता वास्ते आरोपी मनोज कुमार भगत</u>

62. यह कहना सही है कि लिखित शिकायत, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मेरे पुलिस कथन में आरोपी मनोज कुमार भगत का नाम उल्लेखित नही है। गवाह स्वतः कहता है कि उक्त दस्तावेजों में मैंने अन्य पार्टनर लिखवाया है। यह कहना सही है कि बैंको से जिन व्यक्तियों को लोन मिलता है उसे पटाने की जिम्मेदारी उसकी ही होती है। यह कहना गलत है कि मेरा द्वारा लोन लिया गया था और मैं ई.एम.

आई. एवं लोन पटाना नही चाहता था इसलिए संस्था एवं आरोपीगण के विरूद्ध झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सोमकांत यदु अधिवक्ता वास्ते आरोपी सुरेन्द्र सिंह करियाम</u>

63. यह कहना सही है कि लिखित शिकायत, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मेरे पुलिस कथन में आरोपी सुरेन्द्र सिंह करियाम, उसके पिता का नाम, उम्र एवं पता उल्लेखित नही है। गवाह स्वतः कहता है कि उक्त दस्तावेजों में मैंने अन्य पार्टनर एवं अनावदेक सुरेन्द्र सिंह लिखवाया है। यह कहना गलत है कि दृष्यम पंचनामा प्र.पी.16 जो कम्प्यूटर से निकाला गया है उसमें मैं केवल अपना हस्ताक्षर किया हूं। यह कहना गलत है कि आरोपी सुरेन्द्र सिंह करियाम के मेमोरेडम कथन को पुलिस वाले पहले से कम्प्यूटर से निकालकर रखे थे जिसमें मैं केवल हस्ताक्षर किया था। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उक्तानुसार कार्यवाही में सम्मिलित होने के संबंध में पहले से कोई नोटिस नही दिया गया है तब साक्षी का कहना है कि मुझे पुलिस वाले फोन करके बुलाते थे और नोटिस देते थे तथा कार्यवाही कर हस्ताक्षर लेते थे।

64. आज मैं नही बता सकता कि पंचनामा, मेमोरेडम एवं जप्ती के कार्यवाही के दिनांक को मेरा कार्य दिवस था और मैं दिवस को अपने कार्यक्षेत्र में काम करने गया था। यह कहना गलत है कि लोन की राशि मुझे पटाने न पड़े इसलिए पुलिस अधिकारियों के सांठगांठ कर झूठा प्रकरण बनवाकर आरोपी सुरेन्द्र सिंह करियाम के विरूद्ध झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया हूं। यह कहना गलत है कि मुझे लोन की राशि जमा न करना पड़े इसलिए आरोपी सुरेन्द्र सिंह करियाम के विरूद्ध असत्य कथन कर रहा हूं।

<u>Time-01:15 PM</u>

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

BALRAM PRASAD VERMA
Digitally signed by BALRAM PRASAD VERMA
Date: 2025.12.11 16:50:59 +0530

(बलराम प्रसाद वर्मा)
विशेष/सत्र न्यायाधीश
रायपुर छत्तीसगढ

मेरे निर्देश पर टंकित ।

BALRAM PRASAD VERMA
Digitally signed by BALRAM PRASAD VERMA
Date: 2025.12.11 16:51:05 +0530

(बलराम प्रसाद वर्मा)
विशेष/सत्र न्यायाधीश
रायपुर छत्तीसगढ

<u>साक्षी के हस्ताक्षर .....</u>